

उत्तर प्रदेश ने छात्रों के लिये भरण-पोषण भत्ता बढ़ाया

चर्चा में क्यों?

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने **दवियांग छात्रों** के लिये **भरण-पोषण भत्ते** को **2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति माह** कर दिया है, जिससे राज्य के 28 आवासीय विद्यालयों में नामांकित 2,650 छात्रों को लाभ मलैगा ।

उत्तर प्रदेश सरकार के आँकड़ों के अनुसार, **हर वर्ष 50 लाख से अधिक छात्र** राज्य की **छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतर्पित योजनाओं** से लाभान्वित होते हैं, जनिमें से लगभग **14 से 15 लाख छात्र अनुसूचित जाति** से संबधित होते हैं ।

मुख्य बढि

- **अयोग्यता मानदंड:**
 - अब **40 वर्ष से अधिक आयु** के छात्र छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे, जबकि पहले आवेदन के लिये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं थी ।
 - जो छात्र **उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य बोर्डों** से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें अब छात्रवृत्ति नहीं मलैगी; हालाँकि, **CBSE और ICSE जैसे केंद्रीय बोर्डों** से उत्तीर्ण छात्रों को यह लाभ मलैता रहेगा ।
 - **उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित विश्वविद्यालयों** द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश के परिसरों में पढने वाले छात्रों को भी संशोधित योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया है ।
- **अनविरय डजिलोंकर:**
 - छात्रवृत्ति आवेदकों के लिये अब **डजिलोंकर पंजीकरण अनविरय** होगा, जिससे **स्वचालित आधार-आधारित डाटा सत्यापन** संभव हो सकेगा और **धोखाधड़ी की घटनाएँ** रोकी जा सकेंगी ।
- **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये राश में वृद्धि:**
 - **अनुसूचित जाति (SC)** के छात्रों के लिये **वार्षिक छात्रवृत्ति राश में 500 रुपए** की वृद्धि की जाएगी, जिससे कुल राश **3,500 रुपए प्रतिवर्ष** हो जाएगी ।
- **वशिष छूट:**
 - **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** के अंतर्गत **अस्वच्छ पेशों** (जैसे, मैला ढोने, कच्चे चमड़े से संबधित कार्य आदि) से जुड़े परिवारों के बच्चों के लिये **आय सीमा की बाधयता समाप्त** कर दी गई है, जिससे उन्हें **छात्रवृत्ति योजना** का लाभ मलै सके ।

नोट:

- **दवियांगजन अधिकार अधनियम, 2016** के अनुसार, **21 प्रकार की दवियांगताएँ** मान्यता प्राप्त हैं, जनिमें **दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, वाणी एवं भाषा विकार, बौद्धिक दवियांगता, बहु दवियांगता, सेरेब्रल पाल्सी और बौनापन** आदि शामिल हैं ।